फर्द अहकाम

जगदीश व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य

पत्र संख्या: 276/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.10.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम शिकारपुरा, तह0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान् 575/1176, 1387/566, 1389/566 की सीमाज्ञान होने पर प्रार्थीगण की सीमा में अप्रार्थीगण दखल नही दे इस बाबत् अप्रार्थीगण को अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	[illegible] 7743-53 30/10/24
	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्व... दिनांक 6/12/24 को पेश हो।	Babulal [illegible] 20.11.24 ([illegible])
1/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं अप्रार्थी सं0 6 को ओर से [illegible] उपस्थित नहीं अप्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र 151 CPC पेश किया [illegible] प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है पत्रावली [illegible] में खारिज [illegible] हो बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	U.T. [illegible] 1/12 Ramsingh ([illegible])